



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224521
CG-DL-E-18012021-224521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

का.आ. 227(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 24.09.2020 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 3261(अ) के हिंदी संस्करण के पैरा 5 के तहत सारिणी में क्रम सं. 4 के ऊपर प्रविष्टि में शब्द - 'अंशकालिक सदस्य' के स्थान पर 'पूर्णकालिक सदस्य' पढ़ा जाए।

[फा.सं.वी.11013/01/2020-एमईपी]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव